

0001/2023
हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

कानूराम बना बेबीलाल व मनज

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश
दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

1/24

4/11/24

पत्रावली पेश हुई / वादी भा. क्रि 03 पर
पुनरावकाश आदेश में दिनांक
20/12/24 को पेश की

20/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी अधि. एवं वादी
अनुपस्थित) वादी एवं वादी अधिवक्ता
को निजमानुसार तीन बार आवाजे लगवाई
गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय
5-50 PM हो चुका है। वादी एवं वादी अधि.
को न्यायालय में पुनः एक बार आवाज
लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया।
वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में
उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा उपलब्ध
वाद पर सन्तुष्टि जारी 88, 89, 92 A व 188
राज्यपाल कार्यालयी अधिनियम को अदम
हाजरी) अदम पेशी में जारी किम लागू
है किन्तु सेरे इजलास सुनाया गया। उक्ति
पेश जारी हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकर
ग्राहक इजलास तम नम्बर से कम है।

20/12/24
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. कालूराम माली पुत्र देवी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. देवीलाल माली पुत्र मगना जी माली आयु वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शंकर लाल पुत्र देवी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. भूरी पुत्री देवी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. पूरणमल पुत्र मगना माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राधेश्याम पुत्र मगना माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 01/2023 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह राठौड़ अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 20.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा